कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

Email: dfo_mussoorie@rediffmail.com Phone/Fax-0135-2631765

पत्रांक- 2626/12-1 मसूरी, दिनांक- 05/02/2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय :- **जनपद देहरादून के विकासखण्ड रायपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सहस्त्रधारा –नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal NO.- FP/UK/ROAD/156915/2022)**

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या- 8बी/यू०सी०पी०/06/76/2022/एफ०सी०/1103, दिनांक- 03.11.2023 एवं अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड, देहरादून का पत्रांक-1319/पी०एम०जी०एस०वाई०/सिं०ख०, देहरादून/अनुरक्षण, दिनांक-20.12.2023।

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जो कि निम्नवत आपको प्रेषित है :-

शर्त संख्या	सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	शर्त संख्या 1 के अनुपालन में वनभूमि की विधिक परिस्थिति न बदले जाने के आशय का प्रमाण पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संलग्न किया गया है। **(संलग्नक-1)**
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	शर्त संख्या 2 क्रम में इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी। **(संलग्नक-2)**
3	**प्रतिपूरक वनीकरण :** (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 8.44 है० अवनत वन भूमि , मसूरी रेंज के मोटीधार क०सं० 5ए पर प्रतिपूरक वनीकरण किया। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।	शर्त संख्या 3 (क) के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण एवं उसके दस वर्ष तक रखरखाव हेतु आवश्यक ₹ 37,87,796.00 (सैंतीस लाख सत्तासी हजार सात सो छियानबे रुपये) मात्र की धनराशि जमा कर दी गयी है। साथ ही अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति के उपरान्त यथाशीघ्र प्रतिपूरक वनीकरण कर लिया जायेगा, जिसके अन्तर्गत जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय प्रजातियों का रोपण किया जायेगा तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन नहीं किया जायेगा।
	(ख) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी०ए० क्षेत्र पर किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	शर्त संख्या 3 (ख) के अनुपालन अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि उक्त सी०ए० क्षेत्र पर किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

	(ग)प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के०एम०एल० फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस०एम०सी० कार्य, प्रस्तावित कैंचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू०एल०एम०पी० क्षेत्र राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। (घ) वृक्षोरापण के समय कम से कम 50 प्रतिशत ओक प्रजाति के पौधों का वृक्षारोपण किया जाएगा।	शर्त संख्या 3 (ग) के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के०एम०एल० फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस०एम०सी० कार्य, राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। शर्त संख्या 3 (घ) के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि वृक्षारोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत ओक प्रजाति के पौधों का वृक्षारोपण किया जाएगा। उपरोक्त शर्त संख्या -3 (क,ख,ग,घ) एवं शर्त संख्या-11 व 12 के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-3)
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर अति आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगा। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए अप्रत्याशित वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।	शर्त संख्या 4 के क्रम में अवगत कराना है कि प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक धनराशि कैम्पा कोष में जमा कर दी गयी है। साथ ही इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक-4)**
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य (क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या-202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक-5-1/1998-एफ०सी० (pt.-2) दिनांक-18.09.2003, 5-2/2006-एफ०सी० दिनांक-03.10.2006, 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक-05.02.2009 एवं 5-3/2011-एफ०सी० (Vol I) दिनांक-06.01.2022 में जारी दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से प्रस्ताव के तहत 4.22 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	शर्त संख्या 5 (क) के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त प्रस्ताव के तहत 4.22 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) ₹ 54,55,827.00 (चौवन लाख पचपन हजार आठ सौ सत्ताईस रुपये) मात्र की धनराशि जमा की गयी है। शर्त संख्या 5 (ख) के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दिया जायेगा। **(संलग्नक-5)**
6	प्रयोक्ता एजेन्सी प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 632 वृक्षों एवं 56 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 6 के के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है। **(संलग्नक-6)**

7	राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आरओडब्ल्यू में आने वाले कुल पेड़ों मे से वास्तविक रूप से आवश्यकता के अनुसार पेड़ों की कटाई कम से कम की जाएगी।	शर्त संख्या 7 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि विषयांकित मोटर मार्ग के आरओडब्ल्यू में आने वाले कुल पेड़ों मे से वास्तविक रूप से आवश्यकता के अनुसार पेड़ों की कटाई कम से कम की जाएगी। **(संलग्नक-7)**
8	गाईडलाईन्स् में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	शर्त संख्या 8 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्गत वांछित प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक-8)**
9	परियोजना के तहत प्रयोक्त एजेन्सी से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (http://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित /जमा किया जाएगा।	शर्त संख्या 8 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण एवं उसके दस वर्ष तक रखरखाव हेतु आवश्यक ₹ 37,87,796.00 (सैंतीस लाख सत्तासी हजार सात सो छियानबे रुपये) मात्र एवं उक्त प्रस्ताव के तहत 4.22 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) ₹ 54,55,827.00 (चौवन लाख पचपन हजार आठ सौ सत्ताईस रुपये) मात्र, कुल ₹ 92,43,623.00 (बयानबे लाख तैंतालीस हजार छः सौ तेईस रुपये) मात्र की धनराशि ई-पोर्टल (http://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित /जमा कर दिया गया है। **(संलग्नक-9)**
10	एफ०आर०ए०, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	शर्त संख्या 9 के अनुपालन में एफ०आर०ए०, 2006 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक-10)**
11	नवीनतम वन (संरक्षण) नियम, 28.06.2022 के अनुसार, पांचवे वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (Mature Plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	शर्त संख्या 10 के क्रम में उल्लिखित शर्त के पालन किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक-3)**
12	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे।	शर्त संख्या 11 के क्रम अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत प्रइस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे। **(संलग्नक-3)**
13	नोडल अधिकारी, State CAMPA यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे।	शर्त संख्या 12 नोडल अधिकारी, *State CAMPA* से सम्बन्धित है।
14	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	शर्त संख्या 13 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक-11)**

3/5 contd..

Scanned with OKEN Scanner

15	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	शर्त संख्या 14 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा। **(संलग्नक-12)**
16	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	शर्त संख्या 15 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।**(संलग्नक-13)**
17	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्जीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत सें पर्याप्त लकड़ी विशेषत: वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	शर्त संख्या 16 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्जीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत सें पर्याप्त लकड़ी विशेषत: वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।**(संलग्नक-14)**
18	सम्बन्धित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आ०सी०सी० पिलर्स के द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearing अंकित हो।	शर्त संख्या 17 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। **(संलग्नक-15)**
19	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	शर्त संख्या 18 के क्रम में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा, इस आशय का प्रमाण पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संलग्न किया गया है। **(संलग्नक-16)**
20	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	शर्त संख्या 20 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा। **(संलग्नक-17)**
21	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति मे किसी भी अन्य एजेसियों , विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	शर्त संख्या 21 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति मे किसी भी अन्य एजेसियों , विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी। **(संलग्नक-18)**
22	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लघंन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देश फाईल संख्या-11-42/2017-एफ०सी० दिनांक-29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	शर्त संख्या 22 के क्रम में वांछित प्रमाण पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संलग्न किया गया है।**(संलग्नक-19)**
23	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	शर्त संख्या 23 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक-20)**

Scanned with OKEN Scanner

24	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार से मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलबा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलबा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	शर्त संख्या 24 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक-21)**
25	यदि कोई सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद /नियम/न्यायालयी आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना नोडल अधिकारी/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेवारी होगी।	शर्त संख्या 25 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक-22)**
26	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (http://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जाएगी।	शर्त संख्या 26 के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (http://parivesh.nic.in) पर अपलोड कर दी गयी है। साथ ही प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। **(संलग्नक-23)**

अत: सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रकरण में विधिवत स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(वैभव कुमार सिंह)
उप वन संरक्षक
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

संख्या : 2626 / 12-1, तद् दिनांकित

प्रतिलिपि –निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून को **शर्त संख्या-13** के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड, देहरादून।

उप वन संरक्षक
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

DI Mus
13/2/24

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 हेक्टेयर वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन नं0 FP/UK/Road/156915/2022)

वन भूमि की विधिक परिस्थिति न बदले जाने का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 हेक्टेयर वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन नं0 FP/UK/Road/156915/2022) पर वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी जिस हेतु वचनबद्धता की जाती है।

अपर सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, देहरादून	सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, देहरादून	अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, देहरादून

Scanned with OKEN Scanner

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 हेक्टेयर वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन नं० FP/UK/Road/156915/2022)

परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाने की वचनबद्धता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 हेक्टेयर वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन (ऑनलाईन नं० FP/UK/Road/156915/2022) के दौरान परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाने की वचनबद्धता की जाती है।

अपर सहायक अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड, देहरादून	सहायक अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड, देहरादून	20/10/23 अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड, देहरादून

Scanned with OKEN Scanner

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 हेक्टेयर वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन नं0 FP/UK/Road/156915/2022)

प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि जमा का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 हेक्टेयर वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन (ऑनलाईन नं0 FP/UK/Road/156915/2022) के वन प्रकरण पर भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी / यी0सी0पी0 / 06 / 76 / 2022 / एफ0सी0 / 1103, दिनांक 23.11.2023 एवं कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी के पत्र संख्या 1833 / 12–1 मसूरी, दिनांक 30.11.2023 के तहत दिये गये आदेशानुसार निर्माण कार्य पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु निर्धारित राशि जमा कर दी गयी है। (ऑनलाईन चालान की प्रति संलग्न)

अपर सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, देहरादून	सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, देहरादून	20/XII/23 अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, देहरादून

Scanned with OKEN Scanner

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 हेक्टेयर वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन नं0 FP/UK/Road/156915/2022)

एन0पी0वी0 की धनराशि जमा का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 हेक्टेयर वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन (ऑनलाईन नं0 FP/UK/Road/156915/2022) के वन प्रकरण पर भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी/यी0सी0पी0/06/76/2022/एफ0सी0/1103, दिनांक 23.11.2023 एवं कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी के पत्र संख्या 1833/12–1 मसूरी, दिनांक 30.11.2023 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा कर दी गयी है। (ऑनलाईन चालान की प्रति संलग्न)

अपर सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, देहरादून	सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, देहरादून	20/XII/23 अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, देहरादून

Scanned with OKEN Scanner

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/156915/2022 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/156915/2022) Sahastradhara to Naliwala new MR	ROAD1569152022574	6115691557	23 Nov 2023	CA: 3787796/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 5455827/- , na : 0/- na : 0/- na : 0/- na : 0/- Total : 9243623/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 08 Dec 2023 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 08 Dec 2023 Transaction Date : 19 Dec 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/021220231257124404_FPUKROAD1569152022_User_Fund_Demanded_28495.px Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD1569152022574)
2	FP/UK/ROAD/20710/2016 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/20710/2016) Purukul village to Bhitarli-Kimari MR	ROAD207102016750	6120710750	02 May 2020	CA: 2379170/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 2981160/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 5360330/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 16 May 2020 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 04 Aug 2020 Transaction Date : 06 Aug 2020	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/51115123312142PL2PDFONPVDemandPurkul_13-05-2020.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD207102016750)
3	FP/UK/ROAD/12985/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/12985/2015) Gaindikhata to Naurangabad Motor Road	ROAD129852015467	6112985467	27 Feb 2019	CA: 982738/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 1003478/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 1986216/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 17 Jul 2019 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 18 Jul 2019 Transaction Date : 01 Aug 2019	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/711812431213SZVRUMay2019_Gandikatha_NPVAmount.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD129852015467)

Scanned with OKEN Scanner

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 हेक्टेयर वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन नं0 FP/UK/Road/156915/2022)

बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा करने का वचन बद्धता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 हेक्टेयर वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन (ऑनलाईन नं0 FP/UK/Road/156915/2022) के वन प्रकरण पर शुद्ध वर्तमान मूल्य के दर में अगर बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि इस अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

अपर सहायक अभियन्ता	**सहायक अभियन्ता**	**अधिशासी अभियन्ता**
पी0एम0जी0एस0वाई0,	**पी0एम0जी0एस0वाई0,**	**पी0एम0जी0एस0वाई0,**
सिंचाई खण्ड, देहरादून	**सिंचाई खण्ड, देहरादून**	**सिंचाई खण्ड, देहरादून**

Scanned with OKEN Scanner

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 हेक्टेयर वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन नं0 FP/UK/Road/156915/2022)

कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किये जाने की वचनबद्धता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 हेक्टेयर वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन (ऑनलाईन नं0 FP/UK/Road/156915/2022) पर कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किये जाने जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 632 एवं 56 Saplings से अधिक न हो की वचनबद्धता की जाती है।

अपर सहायक अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,	पी0एम0जी0एस0वाई0,	पी0एम0जी0एस0वाई0,
सिंचाई खण्ड, देहरादून	सिंचाई खण्ड, देहरादून	सिंचाई खण्ड, देहरादून

Scanned with OKEN Scanner

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 हेक्टेयर वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन नं0 FP/UK/Road/156915/2022)

आर0ओ0डब्ल्यू0 में आने वाले कुल पेड़ों से वास्तविक रूप से अवश्यकतानुसार कम पेड़ों की कटाई की वचनबद्धता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 हेक्टेयर वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन (ऑनलाईन नं0 FP/UK/Road/156915/2022) के दौरान आर0ओ0डब्लू0 में आने वाले कुल पेड़ों से वास्तविक रूप से आवश्यकतानुसार कम पेड़ों की कटाई की वचनबद्धता की जाती है।

अपर सहायक अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,	पी0एम0जी0एस0वाई0,	पी0एम0जी0एस0वाई0,
सिंचाई खण्ड़, देहरादून	सिंचाई खण्ड़, देहरादून	सिंचाई खण्ड़, देहरादून

Scanned with OKEN Scanner

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 हेक्टेयर वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन नं0 FP/UK/Road/156915/2022)

कार्यालय की दिनांक से एक वर्ष क समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य की अलावा कोई और गतिविधि नहीं किये जाने की वचनबद्धता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 हेक्टेयर वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन (ऑनलाईन नं0 FP/UK/Road/156915/2022) के दौरान कार्यालय की दिनांक से एक वर्ष क समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य की अलावा कोई और गतिविधि नहीं किये जाने की वचनबद्धता की जाती है।

अपर सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड़, देहरादून	सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड़, देहरादून	अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड़, देहरादून

Scanned with OKEN Scanner

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 हेक्टेयर वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन नं0 FP/UK/Road/156915/2022)

परियोजना के तहत धन ई–पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित/जमा करने की वचनबद्धता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 हेक्टेयर वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन (ऑनलाईन नं0 FP/UK/Road/156915/2022) के दौरान परियोजना के तहत धन ई–पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित/जमा करने की वचनबद्धता की जाती है।

		20/11/23
अपर सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड़, देहरादून	सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड़, देहरादून	अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड़, देहरादून

Scanned with OKEN Scanner

10

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 हेक्टेयर वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन नं० FP/UK/Road/156915/2022)

FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन संबन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा की वचनबद्धता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 हेक्टेयर वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन (ऑनलाईन नं० FP/UK/Road/156915/2022) के दौरान FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन संबन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा की वचनबद्धता की जाती है।

अपर सहायक अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	20/XII/23 अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,	पी०एम०जी०एस०वाई०,	पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून	सिंचाई खण्ड, देहरादून	सिंचाई खण्ड, देहरादून

Scanned with OKEN Scanner

(10 क) 56

(प्रपत्र—30)

कार्य का नाम :— प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा—नालीवाला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई—5.500 कि0मी0)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण—पत्र

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा—नालीवाला मोटर मार्ग निर्माण हेतु कुल 4.2200 है0 वन भूमि प्रस्तावित है। जिसमें आरक्षित वन भूमि (मोटर मार्ग एवं मक डम्पिंग हेतु) 4.2200 है0, वन पंचायत भमि 0.00 है0 एवं सिविल भूमि 0.00 है0 प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11—9/98—एफ0सी0 दिनांक 05/02/2006 के द्वारा सडक निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, आं0एफ0सी0 केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त उक्त आदेश के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Groups) प्रभावित नहीं हो रही है।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0
देहरादून

जिलाधिकारी
देहरादून

जिला समाज कल्याण अधिकारी
देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

Scanned with OKEN Scanner

(10 ख) 64

प्रपत्र–23.1

दिनांक – 04/01/2022 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम– नालीकला

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	प्रेमसिंह जवाड़ी पूर्व उप प्रधान	प्रेमसिंह सुरेश सिंह
2	सुरेशसिंह	गम्भीर सिंह
3	मदनसिंह	मदन सिंह
4	सन्दीप सिंह	सन्दीप सिंह
5	रतनसिंह	रतनसिंह
6	रोहित सिंह	
7	अनिलसिंह	Rohit
8	दिनेश सिंह जवाड़ी	[illegible]
9	धनसिंह जवाड़ी	दिनेश जवाड़ी
10	जयवीर सिंह जवाड़ी	जयवीर सिंह
11	चन्दनसिंह जवाड़ी	चन्दनसिंह चन्दनसिंह
12	बैताल सिंह पयाल	बैतालसिंह रायसिंह
13	इतवार सिंह पयाल	सुनीता इतवारसिंह
14	विक्रमसिंह जवाड़ी	शकुन्तला विक्रमसिंह
15	दीपा मिस्त्री	सुभाष
16	प्रेमसिंह पयाल	प्रेम सिंह
17	महावीर सिंह	महावीर
18	भरतसिंह पयाल	भरतसिंह रजनी देवी
19	श्याम लाल	
20	सुमती मिस्त्री	[illegible]

(21) जगदीश पयाल [illegible]

(22) भरतसिंह पंवार [illegible]

(23) [illegible] पंवार

(24) सुन्दरसिंह पयाल [illegible]

हरनसिंह

[illegible]

चन्दनसिंह

दविन्द्र

63
(10 स्)

प्रपत्र–23

कार्य का नाम :– **प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

(लम्बाई–5.500 कि0मी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम– नालीकला

तहसील– देहरादून जिला देहरादून

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। मोटर मार्ग के नवनिर्माण परियोजना के निर्माण हेतु आरक्षित वनभूमि 4.2200 है0, सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0 अर्थात कुल वन भूमि 4.2200 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष मे भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **नालीकला** द्वारा दिनांक 04/01/2022 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नालीवाला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग/प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

श्री नरेन्द्र सिंह रावत

ग्राम सचिव

ग्राम प्रधान नालीकला

62
(10 ख)

2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी हैं अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **देहरादून** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य** परियोजना के निर्माण हेतु **4.2200 है0** वन भूमि **(4.2200 आरक्षित वन भूमि, 0.00 है0 सिविल सोयम भूमि एवं 0.00 है0 वन पंचायत भूमि) ग्राम्य विकास विभाग,** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– देहरादून,
जनपद–देहरादून

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– देहरादून,
जनपद–देहरादून

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र– 23.2

कार्य का नाम :– प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा –नालीवाला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई–5.500 कि0मी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, – देहरादून

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम–2006 के तहत प्रमाण पत्र।

उपखण्ड स्तरीय समिति, रायपुर

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला तक मोटर मार्ग हेतु (आरक्षित वनभूमि 4.2200 है0, सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0) अर्थात कुल 4.2200 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग/ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों का मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील–देहरादून) की दिनांक 04/01/2022 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परामपरागत वन निवासी (व अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री मनीष कुमार, उपजिलाधिकारी एंव अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1 श्री मनीष कुमार उपजिलाधिकारी सदर अध्यक्ष
2 श्री सुभाष चन्द्र वर्मा उप प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग सदस्य
3 श्री मीनाक्षी पैन्यूली सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य / सचिव
4 श्री निर्मला देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र 20 कुमालडा सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया **प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य** परियोजना हेतु **4.220 है0 वन भूमि (4.220 आरक्षित वन भूमि, 0.00 है0 सिविल सोयम भूमि एवं 0.00 है0 वन पंचायत भूमि) ग्राम्य विकास विभाग,** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम,

Scanned with OKEN Scanner

60

(10-25)

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT – DEHRADUN (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the District level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) ACT (FRA), 2006.

A meeting of the District level Committee of Dehradun District – Dehradun constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Dr. R. Rajesh Kumar, I.A.S. District Magistrate on Dated 08.06.22 at 11 AM at Dehradun in which the application claiming rights in Mail area measuring **4.220 Hect** for the Construction of **Construction of Sahastrdhara-Naliwala** Motor Road under PMGSY of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub Division level Committee of **Dehradun** were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After Scrutiny of the documents and detailed discussion, no objection/ claims were found to have been made & hence District level Committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:

Dated:

District Magistrate
District level Committee

जिला समाज कल्याण अधिकारी
देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई.,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

Scanned with OKEN Scanner

54
(१०६)

FORM-I

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector

No. 534

Dated 08/06/2022

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forest (MoEF), government of India's letter No. 11-9/98-FC(pl) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and Other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) act,2006('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it certified that **4.2200** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Rural Development Department Uttarakhand** for New **Road Construction in Dehradun** district falls within jurisdiction of **Naliwala** Village in **Dehradun tehsil.**

It is further certificated that:

(a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire **4.2200** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ....

(b) The Division of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी
देहरादून

जिला समाज कल्याण अधिकारी
देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई.,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

Scanned with OKEN Scanner

58

(१०५)

प्रपत्र–23.3

कार्य का नाम :– प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई–5.500 कि0मी0)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला तक मोटर मार्ग के **नवनिर्माण** हेतु **4.220 है0** वनभूमि ग्राम्य विकास विभाग, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति, तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापित्त प्रमाण पत्र निर्गत किये गये है। वन अधिनियम–2006 के तहत संलग्नक प्रमाण पत्रों के अनुसार प्रयोजना के निर्माण किसी अनुसूचित, जनजाति/वनवासी की भूमि अधिग्रहित नही हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहें है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई.,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

ह0
जिलाधिकारी देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

Scanned with OKEN Scanner

57 (105)

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून
जनपद देहरादून

पत्रांकः– 534 दिनांकः– 08/06/2022

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जनजातिय व्यक्ति एंव पारम्परिक वननिवासी हेतुं गठित जिलास्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 08/06/2022 को जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलास्तरीय समिति प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला तक मोटरमार्ग के निर्माण का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। जिस हेतु **4.2200 हैक्टेयर आरक्षित वनभूमि** वन विभाग से ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैरवानिकी कार्य हेतु सम्बन्धित ग्राम सभा/ग्राम पंचायत एंव उपखण्ड समिति–देहरादून द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एंव संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उप जिलाधिकारी–देहरादून की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त **4.2200 हैक्टेयर** भूमि जो कि वन विभाग के मसूरी रेंज नाली क0स0–2 के अन्तर्गत आती है पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

उप जिलाधिकारी – देहरादून की बैठक का कार्य वृत्त संलग्न हैं।

जिला समाजकल्याण अधिकारी देहरादून	प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग मसूरी	जिलाधिकारी देहरादून जिलाधिकारी देहरादून।

पृ0स0 /दिनांक

प्रतिलिपिः–

1 अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई सि0ख0, देहरादून

जिलाधिकारी, देहरादून

Scanned with OKEN Scanner

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 हेक्टेयर वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन नं0 FP/UK/Road/156915/2022)

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अनुसार अन्य पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने की वचनबद्धता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 हेक्टेयर वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन (ऑनलाईन नं0 FP/UK/Road/156915/2022) के दौरान पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अनुसार अन्य पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने की वचनबद्धता की जाती है।

अपर सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड़, देहरादून	सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड़, देहरादून	20/XII/23 अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड़, देहरादून

Scanned with OKEN Scanner

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 हेक्टेयर वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन नं0 FP/UK/Road/156915/2022)

प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदलने की वचनबद्धता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 हेक्टेयर वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन (ऑनलाईन नं0 FP/UK/Road/156915/2022) के दौरान प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदलने की वचनबद्धता की जाती है।

अपर सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, देहरादून	सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, देहरादून	20/XII/23 अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, देहरादून

Scanned with OKEN Scanner

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 हेक्टेयर वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन नं० FP/UK/Road/156915/2022)

वन क्षेत्र के आस–पास लेबर कैम्प न लगाने का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 हेक्टेयर वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन नं० FP/UK/Road/156915/2022) के वनभूमि पर कोई भी लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा। जिस हेतु वचनबद्धता की जाती है।

		20/XII/23
अपर सहायक अभियन्ता	**सहायक अभियन्ता**	**अधिशासी अभियन्ता**
पी०एम०जी०एस०वाई०,	**पी०एम०जी०एस०वाई०,**	**पी०एम०जी०एस०वाई०,**
सिंचाई खण्ड, देहरादून	**सिंचाई खण्ड, देहरादून**	**सिंचाई खण्ड, देहरादून**

Scanned with OKEN Scanner

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 हेक्टेयर वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन नं० FP/UK/Road/156915/2022)

परियोजना में कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिए रसोई गैस/कैरोसीन की आपूर्ति कराये जाने की वचनबद्धता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 हेक्टेयर वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन नं० FP/UK/Road/156915/2022) के दौरान निर्माण कार्य में कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिए रसोई गैस/कैरोसीन की आपूर्ति कराये जाने की वचनबद्धता की जाती है।

अपर सहायक अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,	पी०एम०जी०एस०वाई०,	पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून	सिंचाई खण्ड, देहरादून	सिंचाई खण्ड, देहरादून

Scanned with OKEN Scanner

(15)

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 हेक्टेयर वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन नं0 FP/UK/Road/156915/2022)

वनभूमि का आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करने की वचनबद्धता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 हेक्टेयर वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन (ऑनलाईन नं0 FP/UK/Road/156915/2022) पर वनभूमि का आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन कर Forward एवं Back bearing अंकित करने की वचनबद्धता की जाती है।

अपर सहायक अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,	पी0एम0जी0एस0वाई0,	पी0एम0जी0एस0वाई0,
सिंचाई खण्ड, देहरादून	सिंचाई खण्ड, देहरादून	सिंचाई खण्ड, देहरादून

20/XII/23

Scanned with OKEN Scanner

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 हेक्टेयर वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन नं0 FP/UK/Road/156915/2022)

परियोजना कार्यों के निष्पादन हेतु कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाने की वचनबद्धता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 हेक्टेयर वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन (ऑनलाईन नं0 FP/UK/Road/156915/2022) के दौरान परियोजना कार्यों के निष्पादन हेतु कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाने की वचनबद्धता की जाती है।

अपर सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, देहरादून	सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, देहरादून	20/XII/23 अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, देहरादून

Scanned with OKEN Scanner

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 हेक्टेयर वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन नं0 FP/UK/Road/156915/2022)

वनभूमि का प्रयोग अन्य किसी प्रयोजन हेतु न किये जाने की वचनबद्धता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 हेक्टेयर वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन नं0 FP/UK/Road/156915/2022) पर वनभूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शायें गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जायेगा की वचनबद्धता की जाती है।

अपर सहायक अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	20/XII/23 अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,	पी0एम0जी0एस0वाई0,	पी0एम0जी0एस0वाई0,
सिंचाई खण्ड, देहरादून	सिंचाई खण्ड, देहरादून	सिंचाई खण्ड, देहरादून

Scanned with OKEN Scanner

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 हेक्टेयर वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन नं0 FP/UK/Road/156915/2022)

पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित वन भूमि अन्य एजेन्सी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं करने की वचनबद्धता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 हेक्टेयर वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन (ऑनलाईन नं0 FP/UK/Road/156915/2022) के दौरान पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित वन भूमि अन्य एजेन्सी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं करने की वचनबद्धता की जाती है।

अपर सहायक अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,	पी0एम0जी0एस0वाई0,	पी0एम0जी0एस0वाई0,
सिंचाई खण्ड, देहरादून	सिंचाई खण्ड, देहरादून	सिंचाई खण्ड, देहरादून

Scanned with OKEN Scanner

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 हेक्टेयर वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन नं0 FP/UK/Road/156915/2022)

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की शर्तों को मानने की वचनबद्धता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 हेक्टेयर वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन (ऑनलाईन नं0 FP/UK/Road/156915/2022) के दौरान वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की शर्तों को मानने की वचनबद्धता की जाती है।

अपर सहायक अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	20/XI/23 अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,	पी0एम0जी0एस0वाई0,	पी0एम0जी0एस0वाई0,
सिंचाई खण्ड, देहरादून	सिंचाई खण्ड, देहरादून	सिंचाई खण्ड, देहरादून

Scanned with OKEN Scanner

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 हेक्टेयर वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन नं0 FP/UK/Road/156915/2022)

ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे की वचनबद्धता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 हेक्टेयर वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन (ऑनलाईन नं0 FP/UK/Road/156915/2022) के दौरान ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास हेतु आवश्यक समझे की वचनबद्धता की जाती है।

20/XII/23

अपर सहायक अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,	पी0एम0जी0एस0वाई0,	पी0एम0जी0एस0वाई0,
सिंचाई खण्ड़, देहरादून	सिंचाई खण्ड़, देहरादून	सिंचाई खण्ड़, देहरादून

Scanned with OKEN Scanner

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 हेक्टेयर वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन नं० FP/UK/Road/156915/2022)

परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे के यथा स्थान निस्तारण की वचनबद्धता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 हेक्टेयर वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन (ऑनलाईन नं० FP/UK/Road/156915/2022) के दौरान परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे के यथा स्थान निस्तारण की वचनबद्धता की जाती है।

अपर सहायक अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड, देहरादून	सहायक अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड, देहरादून	30/XII/23 अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड, देहरादून

Scanned with OKEN Scanner

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 हेक्टेयर वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन नं0 FP/UK/Road/156915/2022)

अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश की अनुमति लेने की वचनबद्धता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 हेक्टेयर वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन नं0 FP/UK/Road/156915/2022) के दौरान यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेने की वचनबद्धता की जाती है।

अपर सहायक अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	20/XII/23 अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,	पी0एम0जी0एस0वाई0,	पी0एम0जी0एस0वाई0,
सिंचाई खण्ड़, देहरादून	सिंचाई खण्ड़, देहरादून	सिंचाई खण्ड़, देहरादून

Scanned with OKEN Scanner

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 हेक्टेयर वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन नं0 FP/UK/Road/156915/2022)

अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल पर अपलोड करने की वचनबद्धता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 हेक्टेयर वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन (ऑनलाईन नं0 FP/UK/Road/156915/2022) के अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल पर अपलोड करने की वचनबद्धता की जाती है।

अपर सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, देहरादून	सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, देहरादून	20/XII/23 अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, देहरादून

Scanned with OKEN Scanner

(प्रपत्र–43)

कार्य का नाम :– प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई–5.500 कि0मी0)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र की उपयुक्तता का प्रमाण पत्र

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा--नालीवाला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अर्जित आरक्षित वन भूमि, वन पंचायत भूमि एवं सिविल भूमि जिसका क्षेत्रफल 4.2200 है0 है, के हस्तान्तरण हेतु दुगुने क्षेत्रफल 8.4400 है0 अनवरत आरक्षित वन भूमि मसूरी रेंज के मोटीधार कक्ष सं0 5A में वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाया गया है।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0
देहरादून

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0
देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0
देहरादून

राजस्व उप निरीक्षक
22/4/2021

तहसीलदार
देहरादून

तहसीलदार सदर
देहरादून

वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज

उप–प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

उपजिलाधिकारी
देहरादून

जिलाधिकारी
देहरादून

जिलाधिकारी
देहरादून।

Scanned with OKEN Scanner

44

25 (81)

Toposheet Map of Proposed CA Land (Area8.44 Hectare) Against Proposed Sahastradhara (Karligad) to Naliwala Motor Road Under Pradhanmantri Gram Saadak Yojna in District Dehradun Uttar Pradesh

0 0.5 1 1.5 2 Km

Scale- 1:50,000

SOI Toposheet No. 53J/03

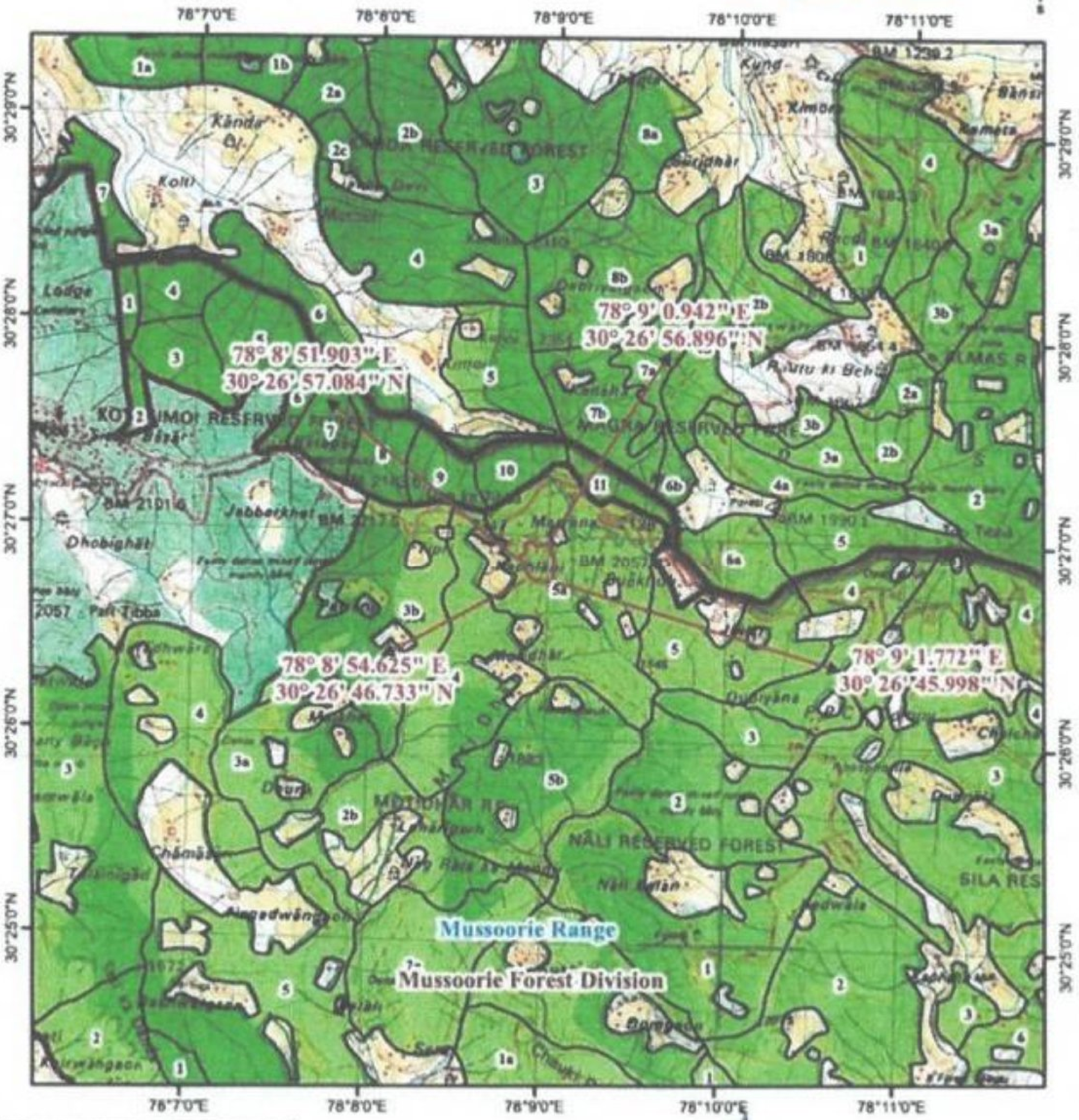

Legend

- Proposed CA Land
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary
- Forest Division Boundary

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

AAE AE EE

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग

Scanned with OKEN Scanner

45 (26)

Geo-Reference Map of Proposed CA Land (Area8.44 Hectare) Against Proposed Sahastradhara (Karligad) to Naliwala Motor Road Under Pradhanmantri Gram Saadak Yojna in District Dehradun Uttar Pradesh

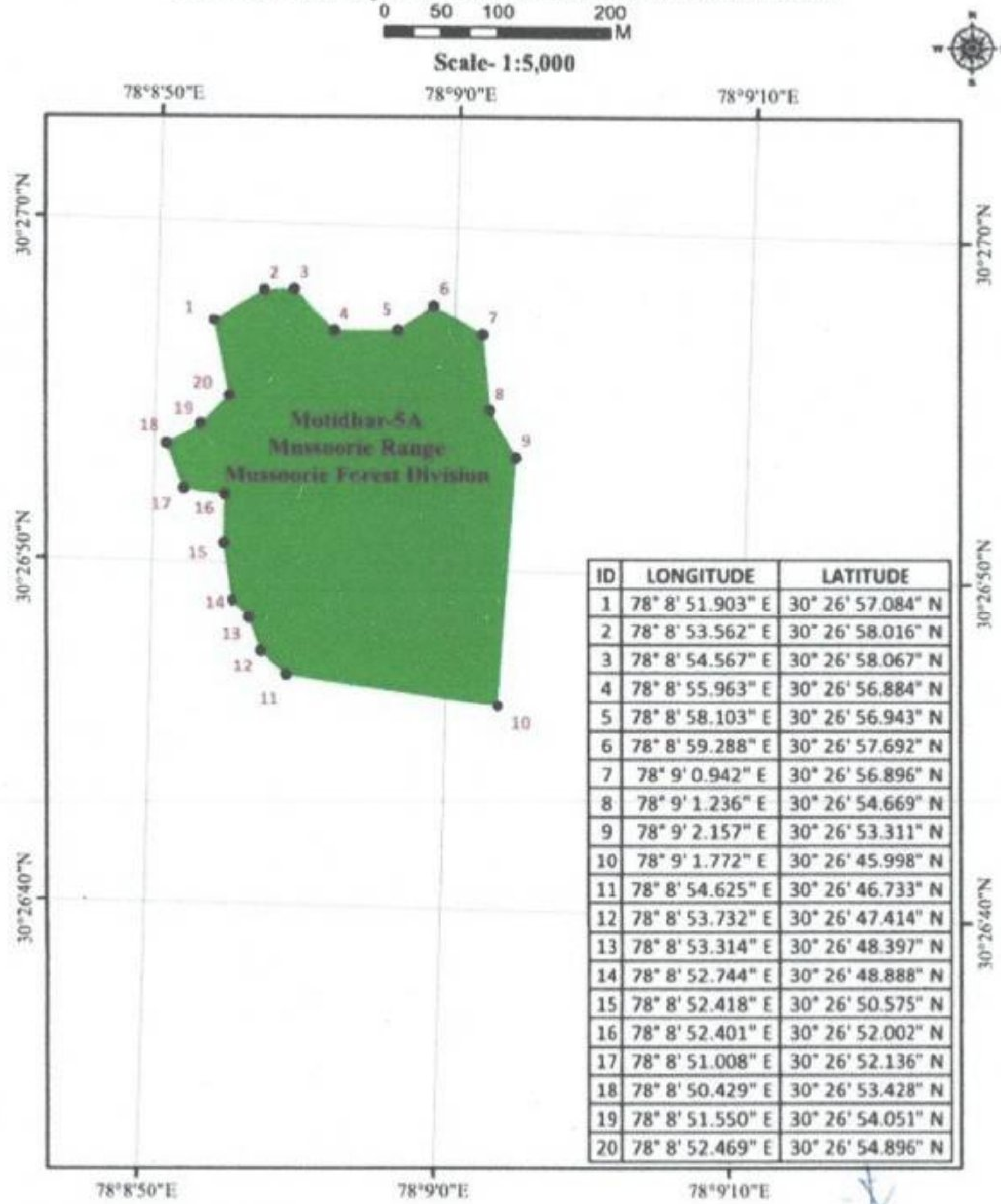

ID	LONGITUDE	LATITUDE
1	78° 8' 51.903" E	30° 26' 57.084" N
2	78° 8' 53.562" E	30° 26' 58.016" N
3	78° 8' 54.567" E	30° 26' 58.067" N
4	78° 8' 55.963" E	30° 26' 56.884" N
5	78° 8' 58.103" E	30° 26' 56.943" N
6	78° 8' 59.288" E	30° 26' 57.692" N
7	78° 9' 0.942" E	30° 26' 56.896" N
8	78° 9' 1.236" E	30° 26' 54.669" N
9	78° 9' 2.157" E	30° 26' 53.311" N
10	78° 9' 1.772" E	30° 26' 45.998" N
11	78° 8' 54.625" E	30° 26' 46.733" N
12	78° 8' 53.732" E	30° 26' 47.414" N
13	78° 8' 53.314" E	30° 26' 48.397" N
14	78° 8' 52.744" E	30° 26' 48.888" N
15	78° 8' 52.418" E	30° 26' 50.575" N
16	78° 8' 52.401" E	30° 26' 52.002" N
17	78° 8' 51.008" E	30° 26' 52.136" N
18	78° 8' 50.429" E	30° 26' 53.428" N
19	78° 8' 51.550" E	30° 26' 54.051" N
20	78° 8' 52.469" E	30° 26' 54.896" N

Legend

- GPS Points
- Proposed CA Land

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

A.A.E.

A8

25 27

Geo-Reference Map of Proposed Sahastradhara (Karligad) to Naliwala Motor Road Under Pradhanmantri Gram Saadak Yojna in District Dehradun Uttar Pradesh

0 0.0750.15 0.3 KM

Scale- 1:10,000

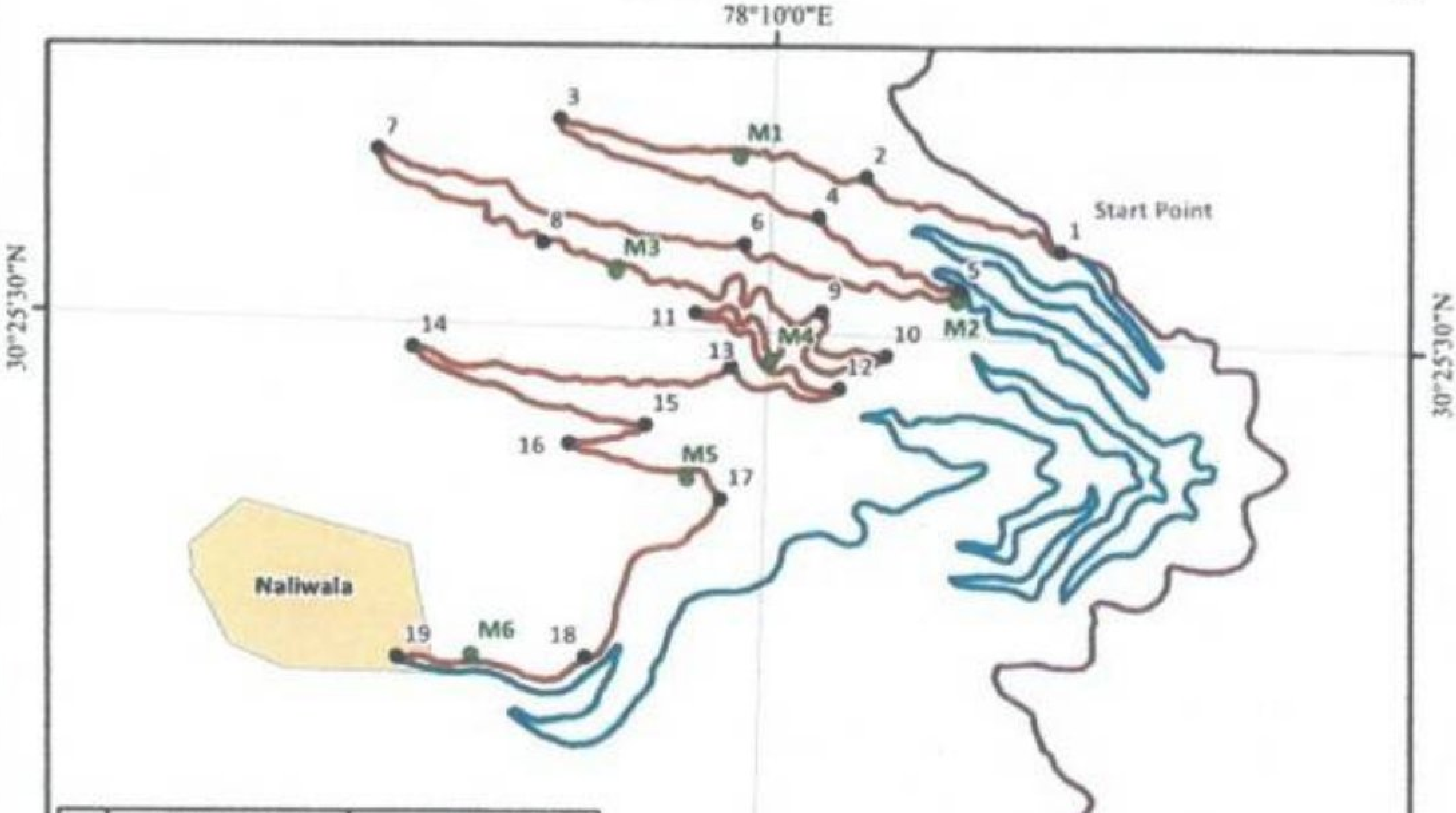

ID	LONGITUDE	LATITUDE
1	78° 10' 14.185" E	30° 25' 33.863" N
2	78° 10' 4.594" E	30° 25' 36.787" N
3	78° 9' 49.453" E	30° 25' 38.837" N
4	78° 10' 2.328" E	30° 25' 34.990" N
5	78° 10' 9.338" E	30° 25' 32.014" N
6	78° 9' 58.671" E	30° 25' 33.743" N
7	78° 9' 40.609" E	30° 25' 37.324" N
8	78° 9' 48.778" E	30° 25' 33.539" N
9	78° 10' 2.587" E	30° 25' 30.941" N
10	78° 10' 5.818" E	30° 25' 29.188" N
11	78° 9' 56.373" E	30° 25' 30.735" N
12	78° 10' 3.568" E	30° 25' 27.711" N
13	78° 9' 58.177" E	30° 25' 28.485" N
14	78° 9' 42.602" E	30° 25' 28.927" N
15	78° 9' 54.062" E	30° 25' 25.878" N
16	78° 9' 50.332" E	30° 25' 25.003" N
17	78° 9' 57.854" E	30° 25' 22.813" N
18	78° 9' 51.393" E	30° 25' 15.884" N
19	78° 9' 42.225" E	30° 25' 15.665" N

GPS of Muck Disposal Sites

ID	LONGITUDE	LATITUDE
M1	78° 9' 58.351" E	30° 25' 37.456" N
M2	78° 10' 9.174" E	30° 25' 31.610" N
M3	78° 9' 52.398" E	30° 25' 32.401" N
M4	78° 10' 0.167" E	30° 25' 28.806" N
M5	78° 9' 56.167" E	30° 25' 23.660" N
M6	78° 9' 45.854" E	30° 25' 15.852" N

78°10'0"E

Legend

- GPS Points
- Muck Disposal
- Proposed Road
- Alternate Road
- Existing Road

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

(20)

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय,देहरादून /
Regional Office, Dehradun

सुभाष रोड, देहरादून-248001/25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ईमेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 76 / 2022 / एफ.सी. / 1103 दिनांक:23 / 11 / 2023

सेवा में,
अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद– देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सहस्त्रधारा – नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online No. FP/UK/ROAD/156915/2022)

सन्दर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र संख्या 1187 / FP/UK/ ROAD/156915/2022 दिनांक 03-10-2022

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां / दस्तावेज प्राप्त किये गये, जिनके प्राप्त होने के उपरान्त तथा प्रस्ताव पर Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 27.10. 2023 को हुई बैठक में संस्तुति होने के उपरांत केन्द्र सरकार– **जनपद– देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सहस्त्रधारा – नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन** किये जाने की **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरणः**

   (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 8.44 है0 अवनत वन भूमि, मसूरी रेंज के मोटीधार क0सं0 5ए पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा **प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।**

   (ख) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

LiFE Lifestyle for Environment

Scanned with OKEN Scanner

(ग) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

(घ) वृक्षारोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत 'ओक' प्रजाति के पौधों का वृक्षारोपण किया जाएगा।

4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

5. **शुद्ध वर्तमान मूल्य**

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत **4.22** है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार **632 वृक्षों एवं 56 saplings** से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

7. **राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आरओडब्ल्यू में आने वाले कुल पेड़ों में से वास्तविक रूप से आवश्यकता के अनुसार पेड़ों की कटाई कम से कम की जाएगी।**

8. गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशो के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश मे उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।

9. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।

10. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

11. **नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।**

12. **वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नही बदलेगें।**

13. **नोडल अधिकारी, State CAMPA यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेगें।**

14. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।

15. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

2/3 contd..

Scanned with OKEN Scanner

16. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
17. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
18. संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।
19. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
20. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
21. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
22. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
23. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
24. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
25. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
26. अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

This bears the approval of competent authority.

भवदीय

(डा0 योगेश गैरोला)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(डा0 योगेश गैरोला)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

Scanned with OKEN Scanner

९

कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

Email: dfo_mussoorie@rediffmail.com Phone/Fax-0135-2631765

पत्रांक-2685/12-1 मसूरी, दिनांक- 13/02/2024

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस० वाई०, सिंचाई खण्ड,
देहरादून।

विषय :- जनपद देहरादून के विकासखण्ड रायपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सहस्त्रधारा – नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal NO.- FP/UK/ROAD/156915/2022)

वृक्षों के पातन/कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक-48/पी०एम०जी०एस०वाई०/सिं०ख०, दे०दून, दिनांक-11.01.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या-8बी/यू०सी०पी०/06/76/2022/एफ०सी०/1103, दिनांक- 03.11.2023 के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत की गयी है, जिसके अनुपालनार्थ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों के अनुरूप एन०पी०वी० व क्षतिपूरक देयताओं का भुगतान किया जा चुका है एवं अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रस्तुत कर दी गयी है।

चूंकि उक्त परियोजना एक रेखीय परियोजना (Linear Project) है, अत: भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या-F.No. 11/306/2014-FC, दिनांक-07-05-2015, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-941/X-4/18/1-05/(04)/2014, दिनांक-26-09-2018 एवं भारत सरकार द्वारा जारी हैण्डबुक के पैरा 11.1 प्राविधानित व्यवस्था के आलोक में विषयांकित प्रकरण के निर्माण कार्य हेतु वृक्षों के पातन /कार्य आरम्भ करने की अनुमति, उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से किये गये अनुरोध के क्रम में तथा विधिवत् स्वीकृति की प्रत्याशा में निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह अनुमति जारी होने की तिथि से एक वर्ष तक ही वैद्य है।
2. यह अनुमति शासकीय/विभागीय नियमों व विभिन्न स्तर के मा० न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अधीन मानी जायेगी।
3. वृक्षों के छपान से पूर्व वन विभाग के पर्यवेक्षण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव के अनुसार मोटर मार्ग के समरेखण के दोनो ओर स्पष्ट चिन्हांकन किया जायेगा।
4. परियोजना में मोटर मार्ग के Right of way (RoW) में आने वाले कुल पेड़ों में से वास्तविक रूप से आवश्यकता के अनुसार वृक्षों का पातन किया जायेगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 632 वृक्ष एवं 56 Saplings से अधिक नहीं होगी। वृक्षों पातन वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में किया जायेगा।
5. भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मौके पर सुनिश्चित किया जायेगा।
6. वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 , भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 एवं अन्य सुसंगत नियमों/आदेशों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन किया जायेगा।
7. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन किये जाने पर यह अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त मानी जायेगी।

(वैभव कुमार सिंह)
उप वन संरक्षक
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

P.T.O.

संख्या : 2685 / 12-1, तद् दिनांकित

प्रतिलिपि -निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक, भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25-सुभाष रोड देहरादून।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य वन संरक्षक, आई०टी०जी०सी० एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अनुमति पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।
4. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

उप वन संरक्षक
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

संख्या : 2685 / 12-1, तद् दिनांकित

प्रतिलिपि -निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. उप प्रभागीय वनाधिकारी (देहरादून) मसूरी वन प्रभाग, लाडपुर।
2. रेंज अधिकारी, मसूरी रेंज।

उप वन संरक्षक
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी